न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

अपील-पत्र संख्या :-26 / 2024 — दायर दिनांक: 26.12.2024

GCMS NO:- 2024/312 — पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती प्रीति मीणा

सुमित्रा कुमारी पत्नी बाबूलाल जाति महाजन नि. नैनवॉ जिला बून्दी।

-- प्रार्थीया

बनाम

1. मनभर बाई पत्नी कैलाश जाति गुर्जर नि0 फूलेता तहसील नैनवॉ।
2. सोजीलाल आ0 किशनलाल जाति जाट नि0 फुलेता तहसील नैनवॉ।
3. सोभाग आ0 किशनलाल जाति जाट नि0 फुलेता तहसील नैनवॉ।
4. सोपाल आ0 किशनलाल जाति जाट नि0 फुलेता तहसील नैनवॉ।
5. कैलाश आ0 दल्ला जाति गुर्जर नि. फुलेता तहसील नैनवॉ।
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार नैनवॉ जिला बून्दी।

--प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः-- अंतर्गत धारा 251क आरटीएक्ट

उपस्थिति--

प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा।

प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक कुमार गुर्जर।

निर्णय दिनांक 31.07.2025

:--निर्णय--:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम फुलेता तहसील नैनवॉ मे भूमि खसरा नम्बर 321, 322, 323, 324, 327, 328 / 1053 कुल किता 6 कुल रकबा 1.5695 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीया के खाते व कब्जे की भूमि है।

यह कि उक्त भूमि पर आने जाने के लिए ग्राम फुलेता से देई जाने वाली सडक से आगे विद्यूत ग्रेड के पास होकर उत्तर दिशा मे जाने वाले रास्ते मे से होकर आगे पुलिया पर होकर खसरा नम्बर 1259 / 479, 1260 / 479, 1258 / 479, 1262 / 479, 1261 / 479, 1265 / 480, 1266 / 480, 1267 / 480, 1263 / 480 व 1264 / 480 मे होकर प्रार्थीया के खाते की भूमि खसरा नम्बर 321 पर कृषि उपकरणों को लाने ले जाने के लिए 15 फूट चौडा रास्ता प्रदान किया जावे। उक्त खसरा नम्बर मूल खसरा नम्बर 479 व 480 से बने है। प्रार्थीया के लिए यह रास्ता सदैव से ही सुलभ रहा है। रास्ते के अभाव मे प्रार्थीया जो महिला हूं, को भारी परेशानी उठानी पडती है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट क मे लाल स्याही से ए से बी तक दर्शाया हुआ है तथा उक्त रास्ते के एवज् मे प्रार्थीया प्रतिकर राशि भी जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक कुमार गुर्जर द्वारा वकालातनाम व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है।

बहस सूनी गयी। प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 321 पर आने जाने के लिए ग्राम फुलेता से देई जाने वाली सडक से आगे विद्यूत ग्रेड के पास होकर उत्तर दिशा मे जाने वाले रास्ते मे से होकर आगे पुलिया पर होकर खसरा नम्बर 1259 / 479, 1260 / 479, 1258 / 479, 1262 / 479, 1261 / 479, 1265 / 480, 1266 / 480, 1267 / 480, 1263 / 480 व 1264 / 480 मे होकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट क अनुसार रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान किये जावे जिस पर प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया द्वारा जिन खसरा नम्बरान 1259 / 479, 1260 / 479, 1258 / 479, 1262 / 479, 1261 / 479, 1265 / 480, 1266 / 480, 1267 / 480, 1263 / 480 व 1264 / 480 मे होकर रास्ता चाहा गया है, वहां कभी रास्ता रहा ही नही है। साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थीया ने नजरी नक्शा परिशिष्ट क जो प्रार्थना पत्र के साथ बनाकर प्रस्तुत किया है, वह मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार नही बनाकर सर्वथा गलत बनाया है। साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 321 मे पहुंचने का सदैव का रास्ता फुलेता से नाथडा जाने वाले रिकॉर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 140 गै0मु0 रास्ता से होकर मौके पर चालू व विद्यमान होने से विधिक तौर पर अप्रार्थीगण की भूमियाकें मे से होकर रास्ता नही दिया जा सकता इसलिए प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होकर खारिज होने योग्य है। निवेदन किया कि श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 17.03.2025 मे भी प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 321 पर पहुंचने के लिए प्रार्थीया द्वारा परिशिष्ट क मे दर्शाया गया रास्ता वर्तमान मे चालू होने तथा इसके अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रास्ता जो फुलेता से नाथडा जाने वाले रास्ता खसरा नम्बर 140 गै0मु0 रास्ता से खातेदारी खेतो के सहारे होते हुए प्रार्थीया के खेत तक पहुंचना बताया होने अर्थात दोनों रास्तो से ही प्रार्थीया अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 321 मे पहुंच सकती है जिससे नवीन रास्ता कायम करना न्यायोचित नही होने से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। साथ ही प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजो एवं तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अद्योपान्तर अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 321 पर पहुंचने के लिए प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट क अनुसार जो रास्ता चाहा गया है, वह वर्तमान मे चालू होने तथा उसके अतिरिक्त एक अन्य वैकल्पिक रास्ता जो फुलेता से नाथडा जाने वाले रास्ता खसरा नम्बर 140 गै0मु0 रास्ता से प्रार्थीया के खातेदारी खेत तक पहुंचता है, भी चालू होने से नवीन रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ